

move as much of coarse grains as possible from Madhya Pradesh and Rajasthan.

Shri Ranga (Chittoor): Sir, his question was different. He wanted to know how much has been asked by the Government of Gujarat and how much has been supplied by the Union Government.

Shri C. Subramaniam: I gave the figures. As far as wheat is concerned 40,000 tons was the original allotment. 10,000 tons more have been given and another 5000 tons I allotted yesterday. Therefore, it comes to 55,000 tons.

Mr. Speaker: How much has been asked by that Government?

Shri C. Subramaniam: The Gujarat Government do not want more of wheat and rice. They want coarse grains. There is no quantity indicated, because however much is available they are prepared to take up.

श्री बागड़ी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय से कहा जाये कि जो प्रश्न किया जाये उसका वह पूरा उत्तर दें । जब पूरा उत्तर नहीं दिया जाता है तो आप को हमारी हिफाजत करनी चाहिये और आप ही कर सकते हैं । अभी एक माननीय सदस्य ने पूछा कि गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितने अन्न की मांग की थी और केन्द्रीय सरकार ने किस हद तक उसकी पूर्ति की है, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है । कम है, ज्यादा है, इस तरह का अगर अनिश्चित जवाब दे दिया जाता है तो उससे कठिनाई पैदा होती है । बहुत अहम प्रश्न किया गया था लेकिन उसका . . .

अध्यक्ष महोदय : जो जवाब नहीं दिया गया था, वह मैंने पूछ लिया है ।

12.25 hrs.

RE: CALLING ATTENTION NOTICE
(Query)

Shri Dinen Bhattacharya (Seram-1959 (Ai) LSD—4.

pore): Sir, I have got a submission. Last Friday I gave a Calling Attention Notice.

Mr. Speaker: Order, order; I am not going to answer that now.

Shri Dinen Bhattacharya: My submission is this. I want to know what problems or what issues are of national importance or of urgent importance. The train service was dislocated for nine hours at Howrah. But my Calling Attention Notice has not been admitted.

Mr. Speaker: Order, order. The hon. Member may resume his seat. I cannot allow a discussion in that manner.

Shri Dinen Bhattacharya: I am not entering into any discussion. I am only pointing that there is a lock-out and 10,000 workers are out of employment.

Mr. Speaker: Order, order. Will the leader of his Group ask him to resume his seat?

An Hon. Member: There is no leader.

Shri Dinen Bhattacharya: There is strike at TELCO. Two groups of the INTUC are quarrelling and the workers are suffering.

Mr. Speaker: If he is not prepared to resume his seat.

Shri Dinen Bhattacharya: I always obey you, Sir.

Mr. Speaker: Then he should resume his seat and not behave in that manner. That is very objectionable.

12.26 hrs.

SUSPENSION OF MEMBER
(Dr. Ram Manohar Lohia)

डा० राम मनोहर लोहिया (फरुखाबाद):
अध्यक्ष महोदय, . . .

अध्यक्ष महोदय : नहीं साहब, इस तरह से कुछ नहीं हो सकता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं तब मजबूर हो जाता हूँ सब नियमों को देखते हुए यह कहने

[डा० राम मनोहर लोहिया]

के लिए कि इस सदन की कार्रवाई गैर कानूनी होगी ।

उसके अलावा कोई भी बहस मतलब नहीं रखेगी जब तक कि प्रधान मंत्री के दो जीभ वाले और दो माथे वाले प्रस्ताव पर यहां बहस नहीं हो जाती । इसलिए मैं आप से अर्ज करूंगा कि वह प्रस्ताव अग्र्ये ।

उसके अलावा आप जानते हैं कि संसद् कार्य मंत्री का

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब देखिये, नियमों के बाहर मैं आप को भी नहीं जाने दे सकता हूं । यह आप का हक नहीं है कि जब कभी आप चाहें और जैसे आप चाहें आप खड़े हो जायें और किसी भी सवाल को उठा लें । यह उचित नहीं है । आप मुझे सुबह अग्रर लिख देते तो मैं देख लेता कि इजाजत दूं या न दूं । दो साहब आप की पार्टी के गये थे, उन्होंने मुझ से बातचीत की थी

एक माननीय सदस्य : कोई बातचीत नहीं हुई ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं । पार्टी के न होंगे । लेकिन उन्होंने आप का काज मेरे सामने प्लीड किया था । पार्टी है या नहीं
(इंटरप्वाज)

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं चाहता हूं कि उधर से भी लोग जाते

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से सवाल उठाये नहीं जा सकते हैं । श्री दीनेन भट्टाचार्य अभी जब बोल रहे थे तो मैं ने उनको भी टोक दिया था और उनको भी बन्द कर दिया था । आप को किस तरह से मैं इजाजत दे सकता हूं कि आप इस तरह से कोई मामला उठा लें । यह मामला इस तरह से नहीं उठाया जा सकता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : इस वक्त यह कार्रवाई बिल्कुल गैर-कानूनी होगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कहूंगा कि आप गैर-कानूनी काम कर रहे हैं और नियमों के उलट कर रहे हैं । आप इस वक्त इस को नहीं उठा सकते हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह आप की राय है, मेरी राय है या सदन की राय है ?

अध्यक्ष महोदय : बहुत मुश्किल यह है कि मेरी जो राय है वही यहां ठीक समझी जानी है । आप मान लीजिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : बहुत दफा झुका हूं लेकिन जो गैर-कानूनी कार्रवाई इस ढंग की हो रही है, मैं इस में आगे साझेदारी नहीं कर सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप कहें कि आप झकने के लिए तैयार नहीं हैं, तब तो बहुत मुश्किल बात हो जायेगी ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आप को दलील

अध्यक्ष महोदय : इस तरह मे आप नहीं बोलते जा सकते हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : संसद्-कार्य मंत्री ने इस सदन में

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं उठा सकते हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : तो मैं और भी कोई कार्रवाई नहीं होने दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत काबिल एतराज बात है कि आप कहें कि आप कार्रवाई नहीं होने देंगे ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज न उठाऊं इसलिए कि

अध्यक्ष महोदय : अगर आप एलानिया, डेलीब्रेटली, जानबूझकर और मन बना कर

कहते हैं कि मैं हाउस की कार्रवाई नहीं होने देता तो यह कभी बरदाश्त नहीं हो सकता है।

डा० राम मनोहर लोहिया : बरदाश्त न करिये। ऐसी भाषा मैं भी बरदाश्त करना नहीं चाहता।

श्री मधु लिमये (मंगेर) : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ . . .

अध्यक्ष महोदय : उन से मुझे बात कर लेने दीजिये। उनका इरादा जान लेने दीजिये। आप कार्रवाई चलने देंगे या नहीं ?

डा० राम मनोहर लोहिया : जी नहीं। जब तक आप कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : आप को इजाजत मैं नहीं देता हूँ। आप क्या करना चाहते हैं ?

श्री मधु लिमये : मैं एक मिनट मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं आप का ध्यान 4 तारीख की कार्रवाई की ओर खीचना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : इस बहस पर हम नहीं जा रहे हैं। आप बैठ जाइये।

श्री मधु लिमये : आप जरा सुन तो लीजिये। मसद्-कार्य मंत्री ने क्या कहा था। एक मिनट दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : उमी पर तो एतराज कर रहा हूँ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : सुन तो लीजिये।

श्री मधु लिमये : एक मिनट सुन लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं हो सकता है।

श्री मधु लिमये : इस सदन में आप उस पर विचार करेंगे कि उन्होंने क्या कहा था। एक मिनट सुन लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होगा। आप बैठ जायें।

श्री मधु लिमये : मैं बैठ जाता हूँ। लेकिन चार तारीख की कार्रवाई की ओर मैं आप का ध्यान खीचना चाहता हूँ। संसद्-कार्य मंत्री ने अपना वचन तोड़ कर इस सदन का और आप का अपमान किया है, उसकी ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूँ . . .

अध्यक्ष महोदय : मेम्बर साहब मेरी इजाजत के बगैर, मेरे हुक्म की खिलाफवर्जी करके बाधा डाल रहे हैं और सदन की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहे हैं . . .

श्री मधु लिमये : मैं सवाल उठाना चाहता हूँ कि सदन का अपमान और आप का अपमान हुआ है . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं आप का नाम पुकार कर कहता हूँ। आप कार्रवाई चलने देंगे या नहीं देंगे? आप को इजाजत नहीं दे सकता हूँ (इंटरप्लॉज) सलाह कर लो जिस ने करनी है।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठ कर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही नाजायज है।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं उन को रोक रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यही मैं कर रहा हूँ।

डा० साहब : क्या इरादा है, क्या काम चलने देंगे या नहीं चलने देंगे।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप का क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा इरादा है कि काम नियमों के अनुसार चले और मैं चलाना चाहता हूँ अगर आप मझे चलाने दें तो। इस तरह से खड़े हो कर कोई मामला नहीं उठाया जा सकता है। इस तरह से आप देखल नहीं दे सकते हैं।

श्री बागड़ी (हिमार) : एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये । व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है । पहले उन से बात कर लेने दीजिये । जब मैं खड़ा हूँ तो आप नहीं बोल सकते हैं ।

श्री बागड़ी : मैं आप की बात पर व्यवस्था उठाना चाहता हूँ । आप उसका जवाब दें ।

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे बताना कर लेने दीजिये, आप बैठ जाइये ।

श्री बागड़ी : मैं उमी बात पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ जो आप की ओर डा० लोहिया की है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मेबर साहबान से और सारे हाउस से कहूंगा कि आया इस तरह से कार्रवाई चल सकती है और क्या मैं उसे चला सकता हूँ । अगर इस तरह से रुकावट डाली जायेगी तो हाउस का कोई प्रोग्राम नहीं चल सकता । क्या यह डिमाक्रेसी है उनके मन में है कि रुकावट डाली जाये और कार्रवाई न चलने दी जाये, तो मैं इस की इजाजत नहीं दे सकता । डाक्टर साहब, क्या जो कार्रवाई मेरे सामने है मैं उस को चलाऊँ, या आप उस में रुकावट डालते हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके शब्द तो स्वीकारता नहीं । मैं समझता हूँ कि अच्छी कार्रवाई में रुकावट दूसरी तरफ से आ रही है । मैं तो सदन की कार्रवाई को अच्छी तरह से चलाना चाहता हूँ । मैं पिछले महीने से कोशिश कर रहा हूँ, आप ने भी वचन दिया था, संसद् कार्य मंत्री ने भी वचन दिया था । प्रधान मंत्री के बारे में बात उठी थी । उस के ऊपर बहस होनी थी । सारी बातें हो चुकी हैं । उस के बाद भी जब मुझे मजबूर किया जा रहा है कि इन सारे वचनों को भंग किया जाये, तो मेरे सामने और सूरत ही क्या रह जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर क्या आप रुकावट जालेंगे ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं इसे रुकावट डालना नहीं मानता ।

अध्यक्ष महोदय : आप न मानें लेकिन . . .

डा० राम मनोहर लोहिया : आप उभरे चाहे जो समझें । लेकिन मैं आप से यह कहे देता हूँ कि इस के बाद की कार्रवाई में साझेदारी करना मेरे लिये नामुमकिन है जब तक कि आप यहां पर दिये गये वचनों का पालन नहीं करवाते । इसके अलावा कोई भी बहस यहां बिल्कुल फिजूल हो जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं दलीलों में नहीं जाना चाहता, आप ने कहा कि आप इस कार्रवाई को नहीं चलने देना चाहते ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप की इच्छा है अगर आप इतना भी नहीं मुनना चाहते ।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से एक जानकारी चाहता हूँ ।

Shri Kapur Singh (Ludhiana): Sir, may I say a word? How the proceedings of this House ought to be conducted and what consequences should follow if the proceedings are not permitted to be conducted in that manner are matters for you to decide. But when, as has apparently happened here, an attack is mounted against you, Sir, personally, it is an attack on the Chair, it is an attack on the dignity of the whole House which could not be condoned. It is an attack on our own dignity and it is an attack on the dignity of the whole nation. So, we object to it very strongly.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरे यह निवेदन है कि आप का अपमान संसद्-कार्य मंत्री ने किया है, दूसरे किसी ने नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये । डाक्टर साहब, मैं आप से विनय करता हूँ कि या तो आप कार्रवाई में बाधा न डालें या फिर आप हाउस से बाहर चले जायें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आप से बहुत विनय के साथ अर्ज करता हूँ कि अपने पैरों के बल में यहाँ से नहीं जाऊंगा । जब इतनी गैर-कानूनी कार्रवाई हुई हो, तब मुझे भी आप को जबर्दस्ती निकालना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : सिवा इस के मेरे पास कोई चारा नहीं रह जाता । जितना लैटिट्यूड मैं दे सकता था दिया, जितनी पेशेन्स एक्ससाइज कर सकता था की । अब उस की हद्द हो गई । इस वास्ते मैं और कुछ नहीं कर सकता सिवा इस के कि उन से बाहर जाने के लिए कहूँ, और वह कहते हैं कि वह नहीं जायेंगे । यह मेरे आर्डर्स की खिलाफवर्जी है, यह माननीय सदस्य मेरे आर्डर्स को फ्लाउट कर रहे हैं । उन्होंने जान बूझ कर कह भी दिया कि वह इस सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे । अब यह किसी मेम्बर के लिये और हाउस के लिये है कि वहाँ पर क्या तजवीज पेश करता है ।

Shri Vidya Charan Shukla (Mahasamud): I beg to move:

"That Dr. Lohia be suspended from the service of the House for the remainder of the session."

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Who is he to move this motion?

Mr. Speaker: That is for him to decide. I have to put it to the vote of the House.

Some hon. Members rose—

Mr. Speaker: There cannot be any discussion.

Shri S. M. Banerjee: Sir, I have a submission to make.

Mr. Speaker: Order, order. I have said that there cannot be any discussion.

डा० राम मनोहर लोहिया : प्रस्ताव प मुझे भी बोलने का मौका दीजिये । मैं भी उस पर बोलना चाहता हूँ ।

श्री राम सेवक यादव : इस प्रस्ताव पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम पर डिस्क्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती और न यहाँ पर डिस्कशन हो सकता है । मोशन यहाँ पर आया है और उसे मूझ को हाउस के सामने रखना होगा ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं उस के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ । माननीय सदस्य ने यहाँ पर मोशन रखा है कि इस अधिवेशन के बाकी समय के लिये डा० राम मनोहर लोहिया को निकाल दिया जाये । मैं इस का विरोध करता हूँ । मैं आप से केवल यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ने जो निर्णय दिया है कि आज तक के लिये उन को निलम्बित किया जाये, यह पर्याप्त है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने शायद सुना नहीं कि उन्होंने यह कहा कि वह बाहर नहीं जायेंगे ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ।

Shri S. M. Banerjee: I am not concerned with the motion that has been moved by Shri V. C. Shukla or the stand that you are going to take on that. I am not concerned with it. I only plead with you that of late, as the House very well knows, Dr. Lohia has been raising this issue from time to time. Is the Minister of Parliamentary Affairs prepared to have a discussion or not is the crux of the problem. You may send Dr. Lohia out of the House for the remaining period. . . . (Interruptions).

Mr. Speaker: Order, order. Now the motion before the House is....

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, जब आप मुझे निकाल रहे हैं तो मुझे यह कहना है कि मुझे इस पर बोलने का हक तो दिया जाये ।

Shri Nath Pai (Rajapur): May I have a word before you proceed with the motion moved against Dr. Lohia. There is not the slightest doubt that the House patiently waited for this discussion and yet the Minister of Parliamentary Affairs was remiss.... (Interruptions). Only one sentence. He gave some assurances. The first assurance was that since the motion was admitted by you, he would take it up after the Prime Minister's return and, the second one, that he would place it before the Business Advisory Committee. I am very sorry to say that the Minister did not carry out either of these two promises. I know that today he is confined to bed with flu, but he must know the sense of the House. I do not agree with Dr. Lohia when he says that he must obstruct your work or challenge your authority. At the same time, the issues must be known to all. Of course, no hon. Member should challenge the authority of the Chair.

Shri Vidya Charan Shukla: That is the only question.

Shri Nath Pai: That is not the only question.

जरा मेरी बात सुनो, मुझे डराओ मत । मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि हम इस में तो शरीक नहीं होंगे कि आप की बात कोई न माने । लेकिन इस के साथ साथ में हमें यह भी जानना चाहिये कि कई दिनों से यह कोशिश जारी है कि यहां से सम्मति दी जाये । उन का जो प्रस्ताव है . . .

Mr. Speaker: It is a serious matter.

Shri Nath Pai: While I do not agree with the hon. Dr. Lohia in his obstructionist policy, I would yet plead with

the House that we should be given an opportunity to have a discussion on that motion.

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta—Central): It has put us in a very embarrassing position by the turn of events. It has taken this turn perhaps because this House does seem to be without anybody who can be given the designation of being the Acting Leader of the House. You, Sir, continued to have your conversation with the hon. Members over there and it went on perhaps because you considered that there might conceivably have been some substance in the complaint which has accumulated in his mind, and that is why you went on arguing with them, while when perhaps some other member like Shri Dinan Bhattacharyya, for instance, raised some point you took short shrift. In this case, you gave him a lot of rope because there must have been some substance in what he was trying to put forward. I could not quite follow the proceedings but I could guess you were having that kind of tussle with the hon. Member, who is so formidable. But there is a Government here, there is a Leader of the House, there must be an Acting Leader of the House; the Government says nothing and a very ordinary member of the Government party says something to the effect that he must be suspended for.... (Interruptions).

श्री हुकम चन्द कछवाय : जब सन् 65 के बाद अंग्रेजी को सहभाषा बनाये रखने सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुआ था तब श्री बागड़ी के सम्बन्ध में इस तरह का प्रस्ताव रखा गया था और तब भी इन्हीं माननीय सदस्य ने मोशन रखा था, फिर स्वामी जी के बारे में भी इन्हीं ने प्रस्ताव रखा था, मेरे बारे में भी यही प्रस्ताव लाये । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन्होंने ही ठेका ले रखा है जब भी ऐसा मोशन आये तो वही लायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : इस में कोई जर्न नहीं है। मैं आप से बतलाना चाहता हूँ और श्री मुकर्जी की इन्फार्मेशन के लिए भी . . .

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय अगर आप उचित समझ तो मैं एक मिनट में कुछ कहूँ। मेरा जो विचार है, अगर आप आज्ञा दें तो ही मैं कहूँगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को रोकता नहीं लेकिन मेरा यह मतलब है कि जो यह कहे कि मैं कारंवाई नहीं चलने दूँगा उस पर अगर कोई एक्शन न लिया जा सके, यह हाउस न ले सके, तो मुझे कोई एतराज नहीं . . .

श्री मधु लिमय : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ . . .

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं हो सकता, मैंने श्री प्रकाशवीर शास्त्री को बुलया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव पर आप निर्णय लेने जा रहे हैं और यह बहुत गम्भीर प्रश्न है अगर इस में निर्णय करने में और क्रोध या आवेश से काम लिया जायेगा तो बहुत सम्भव है कि कुछ गलत परम्पराओं का श्रीगणेश हो जाय। मेरा अनुमान यह है कि जब डा० लोहिया ने इस बात को यहाँ उठाया था तो आप उनसे शायद यह कहना चाहते थे कि पहले जो पेपर्स टेबल पर ले होने थे वे ही जायें उसके बाद आप उनको अपनी बात कहने का अवसर देंगे। जहाँ तक मैं समझ पाया . . .

(Interruptions) आप क्यों बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय से कह रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप कहें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा अपना अनुमान इसी प्रकार का है कि अगर संसद-कार्य मन्त्री भी सदन में होते या प्रधान मन्त्री यहां होते तो ऐसी स्थिति न होती। साढ़े तीन बजे जो प्राइवेट मेम्बर्स बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है, उसके सामने यह प्रस्ताव है। बहुत सम्भव है कि वह कमेटी इस बात को स्वीकार कर लेती कि इस प्रस्ताव को

प्राथमिकता दे दी जाये, और प्रायोरिटी देने के बाद जो तीन दिन अधिवेशन के गेष हैं उनमें इस प्रस्ताव को रख लिया जाय। लेकिन इसके लिये समाधान हो सकता था डा० राम मनोहर लोहिया की बात सुन लेने के बाद। पर और बात बीच में ही होने से यह बात यों सदन में नहीं आई। मेरा निवेदन यह है कि आप डा० लोहिया की बात पूरी तरह से सुन लें और इंप्रिवेट मेम्बर्स बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी को कोई निर्णय कर लेने दें, तब आप इस पर कोई निर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय : तो क्या इस वक्त कार-वाई बन्द कर दें। आप क्या चाहते हैं कि हम इस वक्त हाउस को एडजर्न कर दें। आप की क्या इच्छा है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : बाकी कारवाई चलती रहे।

अध्यक्ष महोदय : डा० लोहिया तो कहते हैं कि वह कारंवाई चलने नहीं देंगे और आप कहते हैं कि चलती रहे।

(Interruptions) अब आप बैठ जाइये, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय . . .

Mr. Speaker: There is one No-Confidence motion. If notice of it is given, that must get priority and immediately a decision has to be taken when it is to be discussed within a specified period. There is another which is only a censure for a particular act. There is no other provision except that it is to be enumerated in the category of 'No-Date-Yet-Named' motion. It has recently happened in England also. There was a motion against Mr. Wilson. That has not been discussed. He has not allowed time for that. What my duty or responsibility is, that should be distinguished from the one that the Government has. I have only to see whether *prima facie* it is to be admitted or rejected. That everyone knows and I made it

[Mr. Speaker]

clear that I have admitted it. Then, it is for the Government to find time for all these motions. We have a sub-committee that goes into these things and according to the information of Mr. Prakash Vir Shastri that is meeting today at 3-30 P.M. It might give priority or might not give priority, I do not know. Even after it has given the priority, what the reaction of the Government might be, that also I cannot say. But where do I come into the picture that the proceedings of the House should be stopped and that he will not allow the House to proceed?

What I said was that if he had written to me, I would have replied to him. The hon. Members of this House—they might be of his Party—did approach me and I tried to explain to them the whole position. I told them that he might go and attend the meeting of the sub-committee; it might be possible to persuade them to give priority to this resolution. That was the only course. But now when a Member stands up and says that he will not allow the proceedings to be conducted inside the House, there is the end of democracy. Nobody can function here. These two things must be distinguished from each other. What we have here is the attitude of the Member and that is, he openly says he will not allow any proceedings to take place inside the House. Whether he can have other remedy that the Government should do something is a different thing altogether. I might give him every support. That is also possible. But that cannot be said in this manner. When he flouts the authority of the Speaker and determinedly asserts that he will not allow any work to be conducted here unless his motion is taken first, how can that be allowed? The hon. Minister.

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): Mr. Speaker, Sir.... (Inter-ruption).

श्री मधु लियये : सदर साहब, मिनिस्टर साहब को मुनने के पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ...

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । मैंने मिनिस्टर साहब को बुला लिया है ।

Shri Nanda: Sir, you have put the position very clearly. Nothing more is to be added to it. But I would like to emphasize this aspect. The issues are very clear and distinct. If there is a grievance on the part of a Member, there are ways to have the matter dealt with. The other day, the Minister for Parliamentary Affairs had stated the position that there was a motion and the question of fixing a date was going to be considered. Whatever the position is.....

श्री राम सेवक यादव : उन्होंने मान लिया था, वचन दिया था...

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । अब माननीय सदस्य सुनें ।

Shri Nanda: Whether any more urgent business is going to be dealt with, whether a place could be given to it today or tomorrow or day after, are the things which are to be discussed separately. This question of the conduct of the proceedings inside the House is an issue to be considered separately. May I submit that this has been going on too far. You have very kindly given the utmost consideration to the Members and enough latitude is being permitted. I think it is trespassing the tolerance of the House and yourself. I think the motion should be proceeded with.

Mr. Speaker: The question is:

"That Dr. Ram Manohar Lohia be suspended....."

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, जिसके खिलाफ आप कार्यवाही करने जा रहे हैं क्या उसे उस बारे में एक बात कहने का भी मौका नहीं देंगे ?

Mr. Speaker: Now the question is:

"That Dr. Ram Manohar Lohia be suspended from the service of the House for the remainder of the session."

Those in favour may say, 'Aye'.

Several Hon. Members: Aye.

Mr. Speaker: Those against may say, 'No'.

Some Hon. Members: No.

Mr. Speaker: The 'Ayes' have it...

Shri Nath Pal: In view of what Mr. Prakash Vir Shastri has said just now—I do not know what Dr. Lohia is intending to do—I think the proper course would be... (Interruptions).

श्री नाथ पाई : अध्यक्ष महोदय, मैं कभी कार्यवाही में अकारण दखल नहीं लेता लेकिन...

अध्यक्ष महोदय : अगर वे यह कहना चाहते हैं कि मैं और अधिक सब कर सकता था तो मुझे मालूम नहीं।

श्री नाथ पाई : जी आपने काफ़ी सब किया है लेकिन बस एक ही शब्द सुनिये...

अध्यक्ष महोदय : आपने खुद कहा था और डा० मुर्जी ने भी कहा था कि मैंने

कितना सब किया और किस तरीक़े से सब तक टोलरेट करता गया जो कुछ भी होता रहा तो सब उसके बाद अगर मैं मोशन पुट करता हूँ तो उसमें बेजा क्या है ?

श्री नाथ पाई : उन्होंने यह नहीं कहा।

(Interruption). I have a way out. We may proceed to the next business. (Interruption). Why not?

Mr. Speaker: How can I when he will not allow it?

The question is:

"That Dr. Ram Manohar Lohia be suspended from the service of the House for the remainder of the session."

डा० राम मनोहर लोहिया : इसे ऐसा न पास करवाइये। इस पर आप बटन दबाइये।

Mr. Speaker: Let the Lobbies be cleared.

The Lok Sabha divided:

Shri Basumatari (Goalpara): I wanted to vote for 'Ayes'.

Shri Tulshidas Jadhav (Nanded): I wanted to vote for 'Ayes'.

Mr. Speaker: These observations would be recorded.

Division No. 10

AYES

[12.50 hrs.]

Abdul Rashid, Bakshi
Achuthan, Shri
Alagesan, Shri
Alva, Shri A. S.
Aney, Dr. M. S.
Ankineedu, Shri
Anthony, Shri Frank
Babunath Singh, Shri
Bal Krishna Singh, Shri
Balmiki, Shri
Barman Shri P. C.
Barrow, Shri
Barupal, Shri P. L.
Basumatari, Shri
Bhagat, Shri B. R.
Bhagvati, Shri
Bhattacharyya, Shri C. K.
Bheel, Shri P. H.
Bhat, Shri J. B. S.
Boroach, Shri P. C.
Brij Raj Singh-Kotah, Shri

Chandak, Shri
Chandrabhan Singh, Shri
Chandriki, Shri
Chaturvedi, Shri S.N.
Chaudhuri, Shrimati Kamala
Daljit Singh, Shri
Das, Dr. M. M.
Das, Shri B. K.
Desai, Shri Morarji
Dighe, Shri
Dinesh Singh, Shri
Doren, Shri Kasinatha
Dubey, Shri R. G.
Dwivedi, Shri M. L.
Ering, Shri D.
Gaekwad, Shri Fatehsinhro
Ganapati Ram, Shri
Gandhi, Shri V. B.
Gupta, Shri Shiv Charan
Hansda, Shri Subodh
Harvani, Shri Anwar
Hazarika, Shri J. N.

Hem Raj, Shri
Himatsingka, Shri
Himmatsinhji, Shri
Iqbal Singh, Shri
Jadhav, Shri M. L.
Jadhav, Shri Tulshidas
Jagivan Ram, Shri
Jain, Shri A. P.
Jamir, Shri S. C.
Jamunadevi Shrimati
Jyotishi, Shri J. P.
Kamble, Shri
Kanungo, Shri
Kappen, Shri
Kapur Singh, Shri
Kedaria, Shri C. M.
Keishing, Shri Rishang
Khadilkar, Shri
Khanna, Shri Mehr Chand
Kohor, Shri
Kotaki, Shri Liladhar

AYES—Contd.

नजाली, श्री H. V.	Patel, श्री P. R.	Shree Narayan Das, Sh
Kripa Shankar, श्री	Patel, श्री Rajeshwar	Shukla, श्री Vidya Charan
Krishna, श्री M. R.	Patil, श्री S. B.	Shyamkumari Devi, Shrimati
Krishnamachari, श्री T. T.	Patnaik श्री B. C.	Siddananjappa, श्री
Kureel, श्री B. N.	Pallai, श्री Nataraja	Sidheshwar Prasad, श्री
Lakshmikantehamma, Shrimati	Raghuramaiah, श्री	Singh, श्री D. N.
Lalit Sen, श्री	Rai, Shrimati Sahodrabai	Singh, श्री K. K.
Lonikar, श्री	Raj Bahadur, श्री	Singha, श्री Y. N.
Mahananda, श्री	Raja, श्री C. R.	Sinha, Shrimati Tarkeshwari
Mahatab, श्री	Rajdeo Singh, श्री	Sinhasan Singh, श्री
Mahida, श्री Narendra Singh	Raju, D.	Sonavane, श्री
Majithia, श्री	Raju, श्री D. B.	Subbaraman, श्री
Malaichami, श्री	Ram, श्री T.	Subramanyam, श्री C.
Molhotra, श्री Inder J.	Ram Sewak, श्री	Subrananyam, श्री T.
Mantri, श्री	Ram Subhag Singh, Dr.	Sumat Prasad, श्री
Maruthiah, श्री	Ram Swarup, श्री	Surendra Pal Singh, श्री
Masani, श्री M. R.	Ramanathan Chettiar, श्री	Swaran Singh, श्री
Matcharaju, श्री	Ramaswamy, श्री S. V.	Thomas, श्री A. M.
Mehra, श्री Jashvant	Ramdhani Das, श्री	Tiwary, श्री D. N.
Mengi, श्री Gopal Dutt	Rane, श्री	Tiwary, श्री K. N.
Mirza, श्री Bakar Ali	Ranga, श्री	Tiwary, श्री R. S.
Mishra, श्री Bihbuti	Ranga Rao, श्री	Tombi, श्री
Misra, श्री Shyam Dhar	Rao, श्री Jagannatha	Uikey, श्री
Mohanty, श्री Gokulananda	Rao, श्री Krishnamurthy	Upadhyaya, श्री Shiva Dutt
Mohsin, श्री	Rao, श्री Rajagopala	Vaishya, श्री M. B.
Morarka, श्री	Rao, श्री Ramapathi	Valvi, श्री
More, श्री K. L.	Rawandale, श्री	Varma, श्री Ravindra
Mukerjee, Shrimati Sharda	Reddy, Shrimati Yashoda	Veerappa, श्री
Munzri, श्री David	Roy, श्री Bishwanath	Venkatasubbaiah, श्री P.
Nanda, श्री	Saha, Dr. S. K.	Vidyalankar, श्री A. N.
Nasikar, श्री P. S.	Sahu श्री Rameshwar	Vijaya Raje, Shrimati
Niranjan Lal, श्री	Samanta, श्री S. C.	Virbhadra, Singh श्री
Oza, श्री	Saraf, श्री Sham Lal	Wadiwa, श्री
Pande, श्री K. N.	Satyabhama Devi, Shrimati	Wasnik, श्री Balkrishna
Pandey, श्री R. S.	Sen, श्री P. G.	Yadava, श्री B. P.
Panna Lal, श्री	Shakuntala Devi, Shrimati	
Pant, श्री K. C.	Sharma, श्री A. P.	
Parmasivan, श्री	Sharma, श्री K. C.	
Patel, श्री Chhotubhai	Shashi Ranjan, श्री	
Patel, श्री Man Sinh P.	Sheo Narain, श्री	

NOES

Alvares, श्री	Kachhavaia, श्री Hukam Chand	Shinkre, श्री M. P.
Bagri, श्री	Kekkar, श्री Gauri Shankar	Singh, श्री A. P.
Banerjee, श्री S. M.	Kunhan, श्री P.	Singh, श्री Y. D.
Barua, श्री Hem	Limaye, श्री Madhu	Swamy, श्री M. V.
Basumatari, श्री	Lohiya, Dr. Ram Manohar	Swamy, श्री Sivamurthi
Be rwa, श्री Onkar Lal	Mahato, श्री Bhajhari	Venkaiah, श्री Kolla
Bhattacharya, श्री Dinen	Nambiar, श्री	Yadav, श्री Ram Sewak
Biren Dutta, श्री	Nath Pai, श्री	Yashpal Singh, श्री
Brij Raj Singh, श्री	Pattnayak, श्री Kishen	
Dwivedy, श्री Surendranath	Pottekkatt, श्री	
Gupta, श्री Kaashi Ram	Roy, Dr. Sarediah	
Jha, श्री Yogendra	Shastri, श्री Prakash Vi	

Mr. Speaker: The result of the division is as follows:

Ayes: 179; Noes: 32

The motion was adopted.

(Dr. Ram Manohar Lohia left the House.)

श्री रामसेवक यादव : सरकार द्वारा दिये गए वचन की अवहेलना पर यह काम बहुत ही निन्दनीय है और जनतन्त्र के घोर विरोध में है। इसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट में हम सब वाक आउट करते हैं।

(Shri Ram Sewak Yadav left the House)

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : यह लोक सभा की लानत है, लानत।

(Shri Kishen Pattanayak left the House)

Mr. Speaker: Now, Papers to be laid on the Table.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप और विघ्न न डालिए। अगर आप जाना चाहते हैं, तो जाइये।

श्री मधु लिमये : हम जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह आप की मर्जी है। मैं आप को रोक नहीं सकता।

श्री मधु लिमये : मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वचन भंग हो गया है यहाँ।

(Shri Madhu Limaye left the House)

Mr. Speaker: Now, Papers to be Laid on the Table.

12.52 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

REPORT OF INDIAN DELEGATION TO 48TH SESSION OF ILO

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri R. K. Malviya): On behalf of Shri D. Sanjivayya, I beg to lay on the Table a copy of Report of the Indian Delegation to the 48th Session of the International Labour Conference held at Geneva from 17th June to 9th July, 1964. [Placed in Library. See No. LT-3879/64].

PUBLIC DEBT (SECOND AMENDMENT) RULES

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): I beg to lay on the Table a copy of the Public Debt (Second Amendment) Rules, 1964, published in Notification No. GSR, 1614 dated the 7th November, 1964, under sub-section (3) of section 28 of the Public Debt Act, 1944. [Placed in Library. See No. LT-3680/64].

REPORT OF TEA FINANCE COMMITTEE

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy): I beg to lay on the Table a copy of Report of the Tea Finance Committee. [Placed in Library. See No. LT-3681/64].

NOTIFICATIONS UNDER ESSENTIAL COMMODITIES ACT

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D. S. Raju): On behalf of Shri D. R. Chavan, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:—

(i) The Madras Coarse Grains (Export Control) Order, 1964, published in Notification No. GSR, 1741 dated the 7th December, 1964.

(ii) GSR. 1742 dated the 7th December, 1964, rescinding the Rajasthan Gram and Gram Products (Removal of Control) Order, 1953, published in Notification No. SRO 278 dated the 5th February, 1953 and the Coarse Grains (Removal of Control) Order, 1954, published in Notification No. SRO 55 dated the 1st January, 1964. [Placed in Library. See No. LT-3682/64].

NOTIFICATION UNDER EXTRADITION ACT

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. GSR. 1739 dated the 1st December, 1964, under section 35 of the Extradition Act, 1963. [Placed in Library. See No. LT-3683/64].